पुलिस आयुक्त का कार्यालय : दिल्ली पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001।

दूरभाष नं. 011-23746100 एक्सटेंशन 69970

दिल्ली पुलिस राजपत्र :: दिल्ली में प्रकाशन हेतु

अधिसूचना

दिनांक : 08/09/2026

संख्या : A/1/3(IV-12)/2025/ 64998 **/Prom. Cell/CB-IV/PHQ: एडहॉक पदोन्नति** :—पुलिस आयुक्त, दिल्ली, वर्तमान रिक्तियों के विरुद्ध, एएसआई (कार्यकारी) के पद हेतु पदोन्नति सूची में जिनके नाम विद्यमान हैं, उनमें से एचसी (कार्यकारी) बलराज, नं. 210/OND (पीआईएस नं. 28981529) (सामान्य) को एएसआई (कार्यकारी) के पद पर तत्काल प्रभाव से छः माह की अवधि के लिए अथवा जब तक वह सहायक उप-निरीक्षक पुष्टिकरण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात नियमित पदोन्नति के लिए पात्र हो जाता है, इनमें से जो भी पहले हो, दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं पुष्टिकरण) नियम, 1980 के नियम 19(i) के अंतर्गत एडहॉक पदोन्नति प्रदान करने की कृपा करते हैं।

उसे नियमित नियुक्ति अथवा वरिष्ठता अथवा इस पद या किसी अन्य समकक्ष पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार दावा करने का हकदार नहीं होगा तथा बिना किसी पूर्व सूचना और बिना कोई कारण बताए उसे वापस पूर्व पद पर पदावनत किया जा सकेगा। एडहॉक पदोन्नति उस तारीख से समाप्त मानी जाएगी, जिस दिन पदोन्नत कर्मचारी को पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किया जाता है अथवा वह अपने बैचमेट्स के साथ निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने से इंकार करता है अथवा संबंधित पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में असफल रहता है अथवा उसे निलंबित किया जाता है अथवा उसके विरुद्ध विभागीय जांच का आदेश दिया जाता है अथवा उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है अथवा बड़ी दंडात्मक कार्यवाही के फलस्वरूप नैतिक अधमता या भ्रष्टाचार के आरोपों पर निंदा दंड प्रदान किया जाता है।

सी.जी. नं. P-IX 0926-143-[illegible]

(अरुण के. शर्मा)
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त
मुख्यालय-IV, नई दिल्ली।

संख्या : A/1/3(IV-12)/2025/ 64999-65[illegible]/Prom. Cell/CB-IV/PHQ दिनांक दिल्ली, 08/09/2026

प्रतिलिपि :—

1. डीसीपी/बाहरी-उत्तर जिला, दिल्ली — आवश्यक कार्रवाई हेतु। संबंधित कर्मचारी को उचित प्राप्ति रसीद के विरुद्ध तदनुसार सूचित किया जाए।
2. एसीपी/आईटी (पीएचक्यू), दिल्ली।
3. निरीक्षक 'पी' शाखा/पीएचक्यू — सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
4. निरीक्षक स्थापना शाखा/पीएचक्यू — दिल्ली पुलिस राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
5. प्रभारी/हिंदी प्रकोष्ठ/पीएचक्यू — आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6. प्रभारी/कंप्यूटर/सीबी — दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. एसी-आर, II एवं VIII — 1 अतिरिक्त प्रति सहित, व्यक्तिगत फाइल तैयार करने हेतु।

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE : DELHI.
POLICE HEADQUARTERS, JAI SINGH ROAD, NEW DELHI 110001.
Telephone No. 011-23746100 Extn. 69970

FOR PUBLICATION IN THE DELHI POLICE GAZETTE :: DELHI

NOTIFICATION

Dated : 08/09/2026

No. A/1/3(IV-12)/2025/64998/Prom. Cell/CB-IV/PHQ: AD-HOC PROMOTION: - The Commissioner of Police, Delhi is pleased to grant adhoc promotion to HC (Exe.) Balraj, No. 210/OND (PIS No. 28981529) (GN) to the rank of ASI (Exe.) against the existing vacancies, whose names exist on Promotion List for the post of ASI (Exe.) with immediate effect for a period of six months or till such time he becomes eligible for regular promotion after having been successfully completed the Asstt. Sub-Inspector Confirmation Course, whichever is earlier under Rule 19 (i) of Delhi Police (Promotion & Confirmation) Rules, 1980.

He will not be entitled to claim any right for regular appointment or seniority or for appointment to such or any other equivalent post and shall be liable for reversion without any notice and without assigning any reason. The adhoc promotion shall be discontinued from the date when promote is declared medically unfit for promotional training course or he denies to undergo the prescribed training course alongwith his batchmates or he fails in relevant promotional training course or he is placed under suspension or DE is ordered or any criminal case is registered or awarded censure on allegations of moral turpitude or corruption pursuant to major penalty proceedings.

C.G. No. P-0926-143-

(ARUN K. SHARMA)
ADDL. DY. COMMISSIONER OF POLICE
HEADQUARTER-IV, NEW DELHI.

No. A/1/3(IV-12)/2025/64999-65019/Prom. Cell/CB-IV/PHQ dated Delhi the 08/09/2026.

Copy to: -

1. DCP/Outer-North District, Delhi for necessary action. The individual may be informed accordingly against his proper receipt.
2. ACP/IT (PHQ), Delhi.
3. Inspector 'P' Branch/PHQ for information and n/a.
4. Inspector Estt.Branch/PHQ for publication in Delhi Police Gazette.
5. I/C Hindi Cell/PHQ for necessary action
6. I/C Computer/CB for uploading the same in the website of Delhi Police.
7. ACs-R, II & VIII with 1 spare copy for preparing his personal file.
